भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3121
उत्तर देने की तारीख : 11.07.2019

अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा

3121. श्री रवि किशनः
श्री रामदास तडसः
श्री सी० पी० जोशीः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश की अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित बालिकाओं में उच्च शिक्षा संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश की, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं और महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं और महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आबंटित/उपयोग की गई निधियों का राज्य–वार और वर्ष–वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) और (ख): उच्चतर शिक्षा रिपोर्ट 2017–2018 पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार उच्चतर शिक्षा संस्थानों में नामांकन कुल 1,74,37,703 छात्राओं ने करवाया। इन छात्राओं में से, 13,46,638 छात्राएं अर्थात् कुल छात्राओं का 7.72% अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में छात्रों के नामांकन के संबंध में विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया हैः–

नामांकन			
श्रेणी	छात्र	छात्राएं	कुल
कुल सभी श्रेणियां	1,92,04,675	1,74,37,703	3,66,42.378
अल्पसंख्यक समुदाय	12,98,598	13,46,638	26,45.236
कुल का प्रतिशत	6.76	7.72	7.21

(ग): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनमें अल्पसंख्यक छात्राओं को भी कवर किया गया हैः–

- अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए उपचारात्मक कोचिंग।

- अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए एनईटी/एसईटी हेतु कोचिंग।
- अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमी लेयर) और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए सेवाओं में प्रवेश हेतु कोचिंग कक्षाएं।

वर्ष 2010–11 से अल्पसंख्यक छात्रों के लिए ''मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति'' नामक एक विशेष स्कीम चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन और पारसी से संबंधित 1,000 चयनित अभ्यर्थियों को भारत के संस्थानों में पूर्णकालिक/नियमित आधार पर एम.फिल/पीएच.डी. अनुसंधान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन 1,000 स्लॉटों में से, 30% विशेष रूप से इन अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है।

यूजीसी विशेषकर महिलाओं के लिए तीन अन्य योजनाएं अर्थात् (1) सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान हेतु स्वामी विवेकानंद एकल बालिका अध्येतावृत्ति (2) एकल बालिका के लिए स्नातकोत्तर अध्येतावृत्ति और (3) महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति भी कार्यान्वित कर रहा है। ये योजनाएं अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं सहित सभी महिलाओं के लिए खुली हैं।

अल्पसंख्यकों/अनु. जाति/अनु. जनजाति और महिलाओं के लिए आवासीय अकादमी का मुख्य उद्देश्य साम्यपूर्ण विकास के लिए समाज के सभी वर्गों को समान अवसर उपलब्ध करवाना है जिसमें अल्पसंख्यकों अनु. जाति/अनु. जनजाति और महिलाओं के लिए सकारात्मक कार्रवाई शामिल है। ऐसा केंद्र/राज्य सरकारों और एसएससी, बैंकिंग इत्यादि अन्य सेवाओं में प्रवेश के लिए कोचिंग हेतु निःशुल्क/सांकेतिक शुल्क पर छात्रावास सुविधाओं, उपर्युक्त श्रेणी की ट्यूशन फीस के बगैर छात्र को कोचिंग कार्यक्रम उपलब्ध कराकर किया जाता है।

(घ): यूजीसी ने अल्पसंख्यकों, महिलाओं/अनु. जाति/अनु. जनजाति के लिए आवासीय कोचिंग अकादमियों की स्थापना के लिए चार केंद्रीय विश्वविद्यालयों अर्थात् अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान की है।

पिछले तीन वर्ष के दौरान ''अल्पसंख्यकों अनु. जाति/अनु. जनजाति/महिलाओं के लिए आवासीय अकादमी'' योजना के अंतर्गत जारी किए गए अनुदानों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

विश्वविद्यालय का नाम	जारी अनुदान (लाख रु0 में)		
	2016-17	2017-18	2018-19
एएमयू, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)	--	--	--
जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	--	85.00	--
मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद (आ.प्र.)	--	65.00	--
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)	--	--	--

ऐसे दो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं नामतः एएमयू एवं जेएमआई जहां अधिकतर छात्राएं अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान वेतन, आवर्ती एवं पूंजीगत परिसंपत्तियां शीर्ष के अंतर्गत दोनों विश्वविद्यालयों को जारी अनुदान निम्नानुसार हैः–

विश्वविद्यालय का नाम	जारी अनुदान (लाख रु0 में)		
	2016-17	2017-18	2018-19
एएमयू, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)	89470.12	110601.54	100969.15
जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	30587.04	33320.18	36299.07

पिछले चार वर्षों के दौरान योजना–वार, वर्ष–वार और राज्य–वार जारी किए गए अनुदान का विवरण अनुलग्नक–I के रूप में संलग्न है।

(1) सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान हेतु स्वामी विवेकानंद एकल बालिका अध्येतावृत्ति (2) एकल बालिका के लिए स्नातकोत्तर अध्येतावृत्ति और (3) महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजनाओं के अंतर्गत जारी किए गए अनुदान दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक–II के रूप में संलग्न है।

******

''अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा'' के संबंध में दिनांक 11.07.2019 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3121 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित

अनलुग्नक– I

कोचिंग योजना के तहत योजना–वार, राज्य–वार एवं वर्ष–वार अनुदान का विवरण

(लाख रु0 में)

राज्य	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
हरियाणा	उपचारात्मक	131.00,	उपचारात्मक	14.00,	--		--	
	एंट्री	100.00	एंट्री	14.00				
	नेट	37.00	नेट	5.00				
दिल्ली	उपचारात्मक	73.00	एंट्री	2.00	--		--	
	एंट्री	69.00						
	नेट	43.00						
जम्मू एवं कश्मीर	उपचारात्मक	14.00	--		--		--	
	एंट्री	20.00						
पंजाब	उपचारात्मक	262.08	उपचारात्मक	28.00	--		--	
	एंट्री	171.08	एंट्री	28.00				
	नेट	49.00	नेट	4.50				
उत्तर प्रदेश	उपचारात्मक	532.05	उपचारात्मक	42.00	उपचारात्मक	3.90	--	
	एंट्री	401.05	एंट्री	28.00	एंट्री	142.00		
	नेट	183.00	नेट	5.00				
उत्तराखंड	उपचारात्मक	40.00	--		--		--	
	एंट्री	57.00						
	नेट	27.00						
हिमाचल प्रदेश	उपचारात्मक	55.00	--		--		--	
	एंट्री	33.00						
पश्चिम बंगाल	उपचारात्मक	5.75	उपचारात्मक	7.49			--	
	एंट्री	5.75	एंट्री	5.66				
	नेट	4.12	नेट	7.50				
मध्य प्रदेश	उपचारात्मक	24.00	--		--		--	
	एंट्री	24.00						
	नेट	24.00						
छत्तीसगढ़	उपचारात्मक	12.00	--		--		--	
	एंट्री	12.00						
	नेट	12.00						
अरुणाचल प्रदेश	उपचारात्मक	12.00	--		--		--	
	एंट्री	12.00						
	नेट	12.00						
असम	उपचारात्मक	24.00	--		--		--	
	एंट्री	24.00						
	नेट	24.00						

तेलंगाना	उपचारात्मक	36.00	--		--		--	
	एंट्री	36.00						
	नेट	36.00						
तमिलनाडु	उपचारात्मक	36.00	--		--		--	
	एंट्री	36.00						
	नेट	36.00						
राजस्थान	उपचारात्मक	12.00	--		--		--	
	एंट्री	12.00						
	नेट	12.00						
मणिपुर	उपचारात्मक	12.00	--		--		उपचारात्मक	6.13
	एंट्री	12.00					एंट्री	10.13
	नेट	12.00						
सिक्किम	उपचारात्मक	12.00	--		--		--	
	एंट्री	12.00						
	नेट	12.00						
केरल	उपचारात्मक	12.00						
	एंट्री	12.00	--		--		--	
	नेट	12.00						
नागालैंड	उपचारात्मक	12.00	--		--		--	
	एंट्री	12.00						
	नेट	12.00						
मिजोरम	उपचारात्मक	12.00	--		--		--	
	एंट्री	12.00						
	नेट	12.00						
पुदुचेरी	उपचारात्मक	12.00	--		--		--	
	एंट्री	12.00						
	नेट	12.00						
त्रिपुरा	उपचारात्मक	12.00	--		--		--	
	एंट्री	12.00						
	नेट	12.00						
मेघालय	नेट	12.00	--		--		--	
आंध्र प्रदेश	उपचारात्मक	12.00	--		--		--	
	एंट्री	12.00						
	नेट	12.00						
कुल		**2949.88**	**196.15**		**5.32**		**16.26**	

''अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए उच्च शिक्षा'' के संबंध में दिनांक 11.07.2019 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3121 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित

अनलुग्नक– II

विभिन्न अध्येतावृत्ति एवं छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत स्वीकृत अनुदान (करोड़ रु0 में)					
क्र. सं.	योजनाओं का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (जून 2019 तक)
1	अनुसंधान हेतु स्वामी विवेकानंद एकल बालिका अध्येतावृत्ति (योजना 2015–16 में शुरू की गई)	3.04	4.70	4.74	1.05
2	एकल बालिका के लिए स्नातकोत्तर अध्येतावृत्ति	11.37	11.13	9.91	0.08
3	अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	125.34	97.36	91.13	16.58
4	महिलाओं के लिए पोस्ट डॉक्टरल अध्येतावृत्ति	32.47	43.66	31.46	7.72
कुल		**172.22**	**156.85**	**137.24**	**25.43**